राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या– 1734/2015..जिला........जालोर..

उनवान– लकमा राम पुत्र जेपा राम देवासी,नोसरा जालोर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.2016	**खण्डपीठ** **श्री मनोहर पुरी – सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य** प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री गिरीश पारीक एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से विद्ड्रा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.02.2016 व 08.02.2016 प्रस्तुत किये, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे प्रार्थी ने निवेदन किया कि निगरानी को प्रार्थी द्वारा अब आगे नहीं चलाना चाहता है एवं न ही उक्त निगरानी में आगे कोई कार्यवाही चाहता है। इस कारण निगरानी को इसी स्तर पर ही विड्रो किया जाना आवश्यक है। न्यायहित में प्रार्थी द्वारा निगरानी को आगे नहीं चलाये जाने से जरिये विड्रो की जावे। इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपीलों को विद्ड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता जरिये अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्रों के आधार पर हस्तगत निगरानी **विद्ड्रा** करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1734/2015/जालोर जरिये (Withdrawal) खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य — (मनोहर पुरी) सदस्य 09/02/2016	